

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 8048/2023

विनय सूरी पुत्र श्री संत कुमार सूरी, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी रामपुरी मोहल्ला, वार्ड नं. 2, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) तथा एस.के. गोल्ड स्मिथ, मेन बाजार, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के मालिक-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. संजय गेरा पुत्र श्री गोविंद राम गेरा, निवासी मकान नं. 115, जी ब्लॉक, अस्तांग योगा के पास, इंडिया टेरेन स्टोर, सुखाड़िया सर्किल, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)-----प्रतिवादी

एस.बी.क्रिमिनल विविध (याचिका) संख्या 6037/2023 से संबंधित

1. वीना रानी मिधा पत्नी स्वर्गीय श्री मनोज कुमार, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी- मकान नंबर 28, भारद्वाज कॉलोनी, अग्रवाल पीर मंदिर के पास, जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
 2. राजन मोंगा पुत्र श्री नीरज मोंगा, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी- अशोक नगर-बी, श्रीगंगानगर (राज.)।
- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से
 2. संजय गेरा पुत्र श्री गोविंद राम गेरा, निवासी- मकान नंबर 115, जी ब्लॉक, अष्टांग योग के पास, इंडिया टेरेन स्टोर, सुखाड़िया सर्कल, जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
- प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री राहुल बलाना

सुश्री तानिया चुध

प्रतिवादी के लिए: श्री एच.एस. जोधा, पी.पी

श्री कुलदीप शर्मा

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

11/09/2024

1. उपरोक्त दो मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन जवाहर नगर, श्रीगंगानगर में दिनांक 28.07.2023 को दर्ज एक साझा एफआईआर संख्या 379/2023 को रद्द करने की मांग की गई है।
2. याचिका संख्या 6037/2023 में याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता क्रमशः शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 के पारिवारिक सदस्य हैं।
3. याचिका संख्या 8048/2023 में याचिकाकर्ता विनय सूरी वह व्यक्ति है जिसने कथित रूप से शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी चेक बैंक में प्रस्तुत किया था।

4. परिवादी ने श्रीगंगानगर के विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रमांक 1 के समक्ष धारा 156 सीआरपीसी के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
5. मामले के गुण-दोष पर विचार करने से पहले, एफआईआर पर एक नजर डालना उचित होगा, जिसका अनुवादित संस्करण इस प्रकार है:

"1. शिकायतकर्ता श्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्किल के पास 115 जी ब्लॉक का निवासी है। आरोपी राजन मोंगा शिकायतकर्ता का साला है और वीना मोंगा उसकी साली है।

2. शिकायतकर्ता को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने जीजा राजन मोंगा से संपर्क किया, जिसने बताया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो ब्याज पर पैसे उधार देता है। राजन ने शिकायतकर्ता का परिचय श्रीगंगानगर के अशोक नगर निवासी ऋषपाल सिंह से कराया। ऋषपाल सिंह ने शिकायतकर्ता को 2 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 200,000 रुपये उधार दिए। ऋषपाल सिंह ने 500 रुपये मूल्य का एक खाली हस्ताक्षरित स्टाम्प पेपर और दो चेक (संख्या 719181 और 719182) दिए, जिन्हें श्रीगंगानगर के मीरा चौक पर एक प्रसिद्ध स्टाम्प विक्रेता को सौंप दिया गया।

3. शिकायतकर्ता ने ऋषपाल सिंह को ब्याज देना जारी रखा और अपनी जमीन बेचने के बाद,

4. 4 जुलाई 2022 को शिकायतकर्ता को उसके मोबाइल फोन पर मैसेज आया कि चेक संख्या 719181, जिसकी राशि 392,678 रुपये है, मेसर्स एसके सूरी गोल्डस्मिथ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जांच करने पर शिकायतकर्ता को पता चला कि

यह वही चेक है जो उसने ऋषपाल सिंह को दिया था। जब उसने पूछताछ के लिए ऋषपाल सिंह को फोन किया तो ऋषपाल सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता का साला राजन अपनी पत्नी के साथ शेष 35,000 रुपये का भुगतान करने आया था और उसने दोनों चेक और सुरक्षा स्टाम्प पेपर ले लिए थे। जब शिकायतकर्ता ने इस तरह के किसी भी भुगतान के लिए अपनी पत्नी को भेजने से इनकार किया तो ऋषपाल सिंह ने जवाब दिया कि राजन ने अपने साथ आई महिला के साथ दोनों चेक और स्टाम्प पेपर ले लिए थे।

5. इसके बाद शिकायतकर्ता ने राजन मोंगा से संपर्क किया, जिसने माना कि उसने और उसकी बहन वीना मिड्डा ने ऋषपाल को 35,000 रुपये दिए थे और दोनों खाली हस्ताक्षरित चेक ले लिए थे। राजन ने आगे माना कि उन्होंने चेक अपने परिचित विनय सूरी, नूरपुर निवासी को सौंप दिए थे और उसने और विनय ने धोखाधड़ी करने की साजिश रची थी। राजन ने कहा कि उन्होंने चेक पर फर्जी रकम भरी थी और शिकायतकर्ता को चुनौती दी कि वह जो भी कर सकता है, करे।

6. 24 अगस्त 2022 को मेसर्स एसके सूरी गोल्डस्मिथ ने अपने वकील के माध्यम से शिकायतकर्ता को झूठी सूचना के आधार पर निगोशिएबल इंडस्ट्रिमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कानूनी नोटिस भेजा। शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से इस नोटिस का जवाब दिया और एसके सूरी के वकील और विनय सूरी दोनों को जवाब भेजा।

7. आरोपियों ने धोखाधड़ी करने की साजिश रचकर चेक संख्या 719181 की जालसाजी की, जो एक खाली हस्ताक्षरित सुरक्षा चेक था, और ऐसा करके उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की है और एक आपराधिक अपराध किया है।”

6. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और विद्वान सरकारी वकील को सुना है और मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

7. शिकायतकर्ता का स्वीकार किया गया मामला यह है कि उसने वास्तव में प्रश्नगत वाहक चेक जारी किए थे, लेकिन उसका दावा है कि ये चेक याचिकाकर्ताओं को नहीं बल्कि रिछपाल सिंह नामक व्यक्ति को जारी किए गए थे।

8. जैसा भी हो, वाहक चेक परक्राम्य लिखत हैं और जिस व्यक्ति के पास उनका भौतिक कब्जा है, उसे तब तक उनका लाभार्थी स्वामी माना जाता है, जब तक कि कानून के अनुसार अन्यथा साबित न हो जाए। वाहक चेक के कब्जे में होने के आधार पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत कोई आपराधिक दोष नहीं बनता है। चेक वास्तव में शिकायतकर्ता द्वारा जारी किए गए हैं, जैसा कि कहा गया है, यह स्वीकार की गई स्थिति है। आरोप केवल यह है कि चेक रिछपाल सिंह को दिए गए थे।

7. शिकायतकर्ता पर संबंधित चेक के लिए कोई वैध ऋण बकाया है या नहीं, इसका निर्णय एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत पहले से विचाराधीन कार्यवाही में किया जाएगा। मेरा मानना है कि शिकायतकर्ता द्वारा शुरू में पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने पर, उन्होंने एफआईआर दर्ज न करने का सही निर्णय लिया। शिकायतकर्ता ने धारा 156 सीआरपीसी के तहत विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क किया और शिकायत दर्ज की और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी

करने के लिए अदालत को गुमराह करने में कामयाब रहा।

8. किसी भी मामले में, एफआईआर में आरोपों की सामग्री स्पष्ट रूप से उसमें आरोपित अपराध के किसी भी मामले को नहीं बनाती है। एफआईआर में लगाए गए आईपीसी की किसी भी धारा के आवश्यक तत्वों में से कोई भी नहीं बनता है। इसलिए, एफआईआर न्यायिक जांच के लिए खड़ी नहीं होती है और यह टिकने योग्य नहीं है।

9. आधार में, दोनों याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। पुलिस थाना जवाहर नगर, श्रीगंगानगर में पंजीकृत एफआईआर संख्या 379/2023, दिनांक 28.07.2023 तथा उससे संबंधित सभी कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।